# कार्या० नगरपालिका परिषद सेंधवा,जिला बड़वानी

**E- mail - cmosendhwa@mpurban.gov.in**


क्रमांक/2010/स्था./दिव्यांगजन भर्ती अभि./24 सेंधवा, दिनांक : 23/07/2024

## विज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक/7275/2019 मे पारित आदेश दिनांक 30/01/2024, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–07/19/2019/ आ.प्र./1 दिनांक 14/02/2024 ,म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के क्रमांक/676/16017123/2023/18–1 दिनांक 16/02/2023, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के क्रमांक/स्था/एक/201/प्र.शि./2024/3780 भोपाल दि. 26/02/2024 तथा म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन के पत्र क्रमांक/एफ 8–2/2013 आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 04/01/2024 एंव अन्य पत्रो मे दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत् आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र भर कर दिनांक 09/08/2024 कार्यालयीन समय 6–00 बजे सांयकाल तक आवेदन पत्र प्रेषित करे। निर्धारित समयवाधि मे आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थित मे उन पर विचार नही किया जावेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिये निकाय/कार्यालय उत्तरदायी नही होगा। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण,वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक–इन–इंटरव्यू के लिये निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है–

| क्र. | पद का नाम | पद की श्रेणी | वेतनमान | दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित वर्गवार विवरण | | | | निर्धारित योग्यता | वॉक–इन–इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | दृष्टिबाधित और कम दृष्टि | बेहरा और कम सुनने वाले | लोकोमोटो, डिसेबिलिटी जिसमे सम्मिलित, सेलेब्रल पाल्सी, कुष्टरोग मुक्त, बोनापन , एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग, डिसेबिलिटी और मासिक बीमारी और बहुविकलांगता | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | सहायक ग्रेड–3 | तृतीय | 19500–62000 लेवल–4 | – | – | 01 | – | हायर सेकेण्डरी परीक्षा(10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उसके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन मे पत्रोउपादी प्रमाण पत्र हो, साथ ही कम्प्यूटर पर 20 शब्द प्रति मिनट की गति से शासन व्दारा अधिकृत संस्था से प्राप्त हिन्दी मे टाईपिंग की दक्षता प्रमाण पत्र हो | पात्र अभ्यार्थियों को वॉक–इन–इंटरव्यू की तिथि एंव समय की सूचना पृथक से दी जावेगी। |
| 2 | सफाई संरक्षक | चतुर्थ | 15500–49000 लेवल–1 | – | – | 01 | 01 | 5 वी. उत्तीर्ण | |


––2–– निरंतर

शर्ते –

1 आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

2 समस्त प्रमाण पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरान्त प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावे।

3 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशसन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक सी–3–38/16/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई, 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष आरक्षित वर्ग अनु.जन., अनु.जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय /निगम /मण्डल /स्वाशासी संस्था के कर्मचारियों /नगर सैनिक/ निःशक्तजन/ महिलाओं/अनारक्षित/आरक्षित ) आदि के लिये 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा मे 05 वर्ष की छूट) होगी।

4 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक सी–3–8/2016/3–एक भोपाल दिनांक 12 मई, 2017 एवं परिपत्र कमांक सी–3–38 /16–1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई, 2019 अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय मे जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

5 आवेदक को वॉक–इन–इंटरव्यू /साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।

6 दिव्यांगता का डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यताः दिनांक 21/06/2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मेन्यूअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

7 डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी व्दारा जारी किया ही मान्य होगा।

8 वॉक–इन–इंटरव्यू के लिये आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

9 अधूरे, अस्पष्ट एवं अपढनीय आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।

10 भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन समय मे निकाय से प्राप्त की जा सकती है।

11 यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष ) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिये अयोग्य माना जायेगा।

12 यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तो को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्ण करता है।

13 आवेदन पत्र मे कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटीपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नही किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

14 सीधी/बैकलॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना 2005 अंतर्गत नियुक्त होगे।

15 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30/06/2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी,जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एंव भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदनों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा।

निरंतर —3—

16 ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप मे नही है वे निरस्त कर दिये जायेगें। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाऐगें साथ ही ऐसे विवरण दिये गये हो जिसमे ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो जो चयन के लिये आवश्यक हो ,तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिये जाऐगें।

17 दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव मे विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड व्दारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेगें।

18 यह कि दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

19 शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवंत संताने है जिसमे से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ है ता ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव मे दो या अधिक संताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नही माना जावेगा।

20 मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी–3–13/2019/3 एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि मे अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेड के रूप मे दी जायेगी।

21 दिव्यांगजनो हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही म.प्र. नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्त) सेवा नियम 2021 मे निहित प्रावधानुसार की जावेगी।

22 नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार, नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद सेधंवा